प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–औरैया, आगरा, अम्बेडकर नगर, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बरेली, चन्दौली, देवरिया, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजीपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जे0पी0 नगर, कानुपर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखनऊ, महोवा, मैनपुरी, मेरठ, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, संतकबीर नगर, श्रावस्ती, सीतापुर, सोनभद्र एवं सुल्तानपुर।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/NSSK/18–12/2015–16/ 5465-35 **दिनांक** 19 **/09/2016**

विषय–नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (NSSK) का जनपद स्तरीय 2 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत प्रदेश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम एवं गतिविधियॉ चलाई जा रही हैं। यथा जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, समेकित बाल संरक्षण कार्यक्रम आदि।

शिशु मृत्युदर में नवजात शिशु मृत्युदर का प्रतिशत काफी अधिक होता है। जनपद के 24 घन्टे प्रसव सेवा प्रदान करने वाले स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रसव कक्ष में तैनात चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 को नवजात शिशु की विशेष सुरक्षा प्रदान करने तथा क्षमतावर्द्धन के लिये 2 दिवसीय नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (NSSK) का प्रशिक्षण वर्ष 2010–11, वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में प्रदान किया जा चुका है।

जनपदों में भ्रमण के मध्य यह संज्ञान में आया कि कुछ स्वास्थ्य इकाईयों के स्टाफ के स्थानान्तरित, सेवानिवृत होने तथा स्किल में और सुधार लाने के दृष्टिगत उक्त कौशल प्रशिक्षण को पुनः रिफ्रैशर प्रशिक्षण के रूप में प्रसव कक्ष में तैनात स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 को प्रदान किया जाये जिसमें रेडियेन्ट वार्मर के उपयोग एवं बैग एण्ड मास्क के रखरखाव पर विशेष बल दिया जाये।

नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (NSSK) के अर्न्तगत जनपद में 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किये जाने के दिशा निर्देश दिये जा रहे हैं, जो निम्नवत हैं –

<u>नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (NSSK) का जनपद स्तरीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देश</u>

1–प्रशिक्षण स्थल का चयन

- नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम **(NSSK)** का जनपद स्तरीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण ज़िला महिला चिकित्सालय में दिया जायेगा।
- प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिये ऐसी जगह की व्यवस्था की जाए जहाँ 8–8 प्रतिभागियों तथा 3 प्रशिक्षकों को बैठने के लिये 3 ऐसे कमरे उपलब्ध हों जहॉ बिजली आदि की समुचित व्यवस्था हो। प्रशिक्षण अलग–अलग ग्रुप में दिया जायेगा, मगर कभी–कभी आवश्यकतानुसार सभी प्रतिभागियों को एक ग्रुप में बैठा कर भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- प्रशिक्षण में 3 स्किल स्टेशन बनाने हैं, मतलब यह कि एक बड़ी मेज़, 8–8 कुर्सियॉ प्रतिभागियों के लिये तथा 1–2 कुर्सी प्रशिक्षक के लिये जिससे कि डिमॉन्सट्रेशन अच्छी तरह से किया जा सके।
- यदि जिला महिला चिकित्सालय में स्थान की कमी हो तो ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र में व्यवस्था की जाये परन्तु रेडियेन्ट वार्मर एवं प्रसव कक्ष में प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री के लिये प्रतिभागियों को जिला महिला चिकित्सालय ले जा कर उनको वास्तविक सामग्री का प्रर्दशन कराया जाये।
- प्रशिक्षण बैच में अधिकतम 24 प्रतिभागी भाग ले सकते है। प्राथमिकता के अनुसार एक्रिडेटिड उपकेन्द्र/Level-1 Centers को संत्रप्त किया जाये। जिला महिला चिकित्सालय/सामुदायिक/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर यदि कोई स्टाफनर्स व ए0एन0एम0 जिन्होंने पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो अथवा नहीं प्राप्त किया सभी को **रिफ्रैशर प्रशिक्षण** के लिये आमंत्रित किया जाये इस वर्ष जिला महिला